प्रेस विज्ञप्ति
19.03.2026

ईडी ने एसबीआई बैंक धोखाधड़ी व धन-शोधन मामले में 97.92 लाख रुपये की संपत्ति कुर्क की।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), रांची ज़ोनल कार्यालय ने, धन-शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत, भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के पूर्व शाखा प्रबंधक मनोज कुमार व उनके परिवार के सदस्यों से जुड़ी 97.92 लाख रुपये की कुल कीमत वाली दो अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। कुर्क की गई संपत्तियों में झारखंड के साहिबगंज में एक आवासीय मकान और बिहार के पटना में एक फ्लैट शामिल है।

ईडी ने सीबीआई, एसीबी (धनबाद) और शिकारीपारा पुलिस स्टेशन द्वारा दर्ज की गई अनेक एफआईआर और आरोप-पत्र के आधार पर अपनी जांच शुरू की। इन अपराधों में भा.दं.सं., 1860 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत आपराधिक साज़िश, धोखाधड़ी, जालसाज़ी और सरकारी कर्मचारी द्वारा किया गया आपराधिक दुराचार शामिल है।

जांच से पता चला कि मनोज कुमार ने एसबीआई की अलग-अलग शाखाओं—जिनमें साहिबगंज, बरहेट बाज़ार, फूलबंगा और शिकारीपारा शामिल हैं—में तैनात रहते हुए, अपने सरकारी पद का गलत इस्तेमाल करके एक बड़े वित्तीय घोटाले को अंजाम दिया। इस घोटाले की कार्य-प्रणाली यह थी कि उन्होंने कमज़ोर वर्ग के ग्राहकों—खास तौर पर मृत या निष्क्रिय पेंशनभोगियों और अनपढ़ किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) ऋण लेने वालों—के खातों से सैकड़ों अनाधिकृत डेबिट लेन-देन किए। इस तरह से निकाले गए पैसों को बिचौलियों के खातों, एनजीओ और शेल कंपनियों के एक जटिल जाल के ज़रिए घुमाया गया, ताकि पैसों के लेन-देन का सुराग न मिल सके। इन अनुसूचित अपराधों से की अर्जित अपराध की आय लगभग 5.40 करोड़ रुपये आंकी गई है।

आगे की जांच जारी है।